समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 08 September 2026

देशभर मे 'जानलेवा' कफ सिरप को लेकर हंगामा : सुप्रीम कोर्ट मे यांचिका, मौतों का जिम्मेदार ठहराया

Publisher

Published on 07 Oct 2025

देशभर में एक बार फिर **कफ सिरप** को लेकर चिंता और विवाद बढ़ गया है। ऐसा कफ सिरप, जिससे कई बच्चों की मौत हुई है, अब **सुप्रीम कोर्ट** तक पहुंच चुका है। इस कफ सिरप में कथित तौर पर हानिकारक और दूषित तत्व पाए गए हैं, जिसके कारण देशभर में इसके इस्तेमाल पर **रोक लगाने की मांग** जोर पकड़ रही है।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की गई है कि इस सिरप को तुरंत बाजार से हटाया जाए और इसके **निर्माता और जिम्मेदार व्यक्तियों** के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस सिरप के कारण असंख्य बच्चों की जान खतरे में पड़ी है और स्वास्थ्य मंत्रालय एवं संबंधित राज्य सरकारों को इसमें गंभीर भूमिका निभानी चाहिए।

विशेषज्ञों ने बताया कि इस प्रकार के दूषित कफ सिरप का सेवन करने से बच्चों में **गंभीर दिक्कते और अचानक मौत** हो सकती है। कफ सिरप में पाए गए हानिकारक रसायन ने कई परिवारों को शोक में डाल दिया है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए **सख्त जांच और जवाबदेही तय करने का निर्देश** दिया है।

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि केवल जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इस तरह की **हानिकारक दवाओं के उत्पादन और बिक्री पर कठोर निगरानी** भी जरूरी है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय से अपील की है कि बाजार में उपलब्ध सभी कफ सिरप की जांच कराए और किसी भी प्रकार के दूषित उत्पाद को तुरंत प्रतिबंधित किया जाए।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह मामला कई राज्यों में फैल चुका है, जहाँ इस सिरप के सेवन से बच्चों की मौतें हुई हैं। विभिन्न परिवारों ने स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों और पुलिस प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचने के बाद उच्च न्यायालय के द्वारा **राष्ट्रीय स्तर पर तत्काल कार्रवाई** की संभावना है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बच्चों के लिए बनने वाली दवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही **सावधानीपूर्वक जांच**

और निगरानी के अभाव मे जंानलेवा साबित हो सकती है। इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कानून के तहत कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए संबंधित राज्य सरकारों और **निर्माता कंपनियों** को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा कि बच्चों की जान के खतरे को देखते हुए इस मामले में **तत्काल रोक और जांच** आवश्यक है। साथ ही, अदालत ने स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि वे इस मामले में व्यापक स्तर पर **निगरानी तंत्र** तैयार करें।

इस घटना ने देशभर के लोगों के बीच **सुरक्षा और स्वास्थ्य उत्पादों के प्रति जागरूकता** बढ़ा दी है। विशेषज्ञों ने भी माता-पिता से अपील की है कि वे किसी भी सिरप या दवा का सेवन अपने बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के न कराएँ और किसी भी संदिग्ध दवा की जानकारी तुरंत स्वास्थ्य विभाग को दें।

कुल मिलाकर, देशभर में कफ सिरप को लेकर यह मामला बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि **जिम्मेदारों को कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा** और इस प्रकार की हानिकारक दवाओं के निर्माण और बिक्री पर सख्त नियंत्रण लागू किया जाएगा।

यह घटना न केवल सरकार और स्वास्थ्य विभाग के लिए चेतावनी है, बल्कि जनता के लिए भी एक **संदेश** है कि वे अपने बच्चों और परिवार की सुरक्षा के लिए सतर्क रहें। देश में स्वास्थ्य सुरक्षा और उत्पादों की गुणवत्ता पर निगरानी के महत्व को इस मामले ने फिर से उजागर किया है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.